रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 1994/चैत्र 7, 1916
No. 147] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 1994/CHAITRA 7, 1916

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1994

सं. आ. 261(अ).—पटसन विनिर्माण विकास परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1994 का 9) की धारा (1) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 अप्रैल, 1994 को पटसन विनिर्माण विकास परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रवर्तन दिन के रूप में नियत करती है।

[फाइल संख्या 6/20/89-ईपी (टी एंड जे)-III]

अजय प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 1994

S.O. 261(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jute Manufactures Development Council (Amendment) Act, 1993 (9 of 1994), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 1994, as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. 6|20|89-EP (T&J)-III]

AJAY PRASAD, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994